निर्णय दिनांकः–05.12.2025

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2023/271 दर्ज तिथिः–10.08.2023

1. खंगारा वल्द हिमता
2. नारायण वल्द हिमता
3. छोगा वल्द हिमता फौत के कायम मुकाम
   3/1 मोहनराम वल्द छोगाराम
   3/2 हड़मानराम वल्द छोगाराम
   3/3 सुगणी पत्नी छोगाराम
   जाति विश्नोई निवासी खडाली तहसील गुडामालानी बाडमेर।

........................वादी

<u>बनाम</u>

1. हुकमाराम पुत्र हिरकनराम
   जाति विश्नोई निवासी खडाली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. अणसीदेवी पत्नी जोधाराम
3. बाबुलाल वल्द जोधाराम
4. खंगाराराम वल्द सुखराम
5. ठाकराराम वल्द सुखराम
6. पुरखाराम वल्द सुखराम
7. राणाराम वल्द सुखराम
8. विरधाराम वल्द सुखराम
   जाति विश्नोई निवासी खडाली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
9. भगवानाराम वल्द लालाराम
10. झमकू पत्नी लालाराम
    जाति विश्नोई निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखडा जिला बाड़मेर

......................असल प्रतिवादी

11. शाखा प्रबंधक एस0बी0आई0 शाखा गुड़ामालानी
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुडामालानी जिला बाड़मेर।

...............तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादीगणः– श्री बाबूलाल विश्नोई
श्री जगदीश कड़वासरा

वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:53 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—05.12.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 107/1/9.3482 है0 मौजा खडाली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा बाद विधिवत तामील जरीये असालतन—वकालतन उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 08 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय होकर जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश किया। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा सीधे बहस कर प्रतिवादी संख्या 01 की आराजी मुताबिक जमाबंदी रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सानुसार पृथक किये जाने का निवेदन किया गया। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा मय प्रतिदावा के तथ्यों को दोहराते हुए अपना खाता मुताबिक जमाबंदी में दर्ज हिस्सा एवं वहामी बंटवारा अनुसार पृथक किये जाने पर सहमति प्रदान की।

3. प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेः—

    1. *आया वादी संयुक्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।*

       ....जिम्मे वादी

    2. *आया वादी संयुक्त आराजी [illegible]क हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा [illegible] खाता विभाजन करवाने के [illegible] हैं।*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:53 IST
Reason: SelfAttested

.................*जिम्मे वादी*

3. *आया वादी संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के पश्चात् विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।*

.................*जिम्मे वादी*

4. *आया प्रतिवादी संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।*

................*जिम्मे प्रतिवादी 01*

5. *अन्य दादरसी।*

.............*उभयपक्षकारान*

4. तत्पश्चात् उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 05.12.2022 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू–धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1081 दिनांक 01.07.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया।

5. प्रकरण में प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति करते हुए निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव हाजा न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.12.2022 के अनुसार नही बनाया गया है एवं विभाजन प्रस्ताव में प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा सामलाती रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा अलग किया जाने का निवेदन किया गया।

6. तत्पश्चात पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/2025/1652 दिनांक 14.11.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा पुनः आपत्ति जताते हुए उभय पक्षकारान की सहमति से परिशिष्ट 'अ' अनुसार विभाजन करने पर सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1652 दिनांक 14.11.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 07.11.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 23[illegible]25 दिनांक 17.09.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 07.11.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:53 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 2313—2327 दिनांक 17.09.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 07.11.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

7. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073—2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 107/1/9.3482 है0 मौजा खडाली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। उभय पक्षकारान द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए सभी पक्षकारों की सहमति से परिशिष्ट 'अ' प्रस्तुत किया एवं परिशिष्ट 'अ' के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1652 दिनांक 14.11.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार प्रेषित मौका कुर्रेजात रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 09 व 10 का अन्य प्रतिवादियों के साथ संयुक्त रूप से खाता विभाजन प्रस्तावित किया गया है। इस पर प्रतिवादी संख्या 09 व 10 द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1652 दिनांक 14.11.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार प्रेषित मौका कुर्रेजात रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 09 व 10 का अन्य प्रतिवादियों से पृथक् से खाता विभाजन करते हुए शेष कुर्रेजात प्रस्ताव को यथावत रखने का निवेदन किया। इस पर वादी व प्रतिवादी द्वारा सहमति प्रस्तुत की गई। अतः दावा वादीगण एवं प्रतिवादीगण मुताबिक एवं उभय पक्षकारों की सहमति से प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' मय नक्शा—ट्रेस के अनुसार प्रतिवादी संख्या 09 व 10 का अन्य प्रतिवादियों से पृथक् से खाता विभाजन करते हुए शेष कुर्रेजात प्रस्ताव को यथावत रखते हुए डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

8. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> > *(a) if there exists no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> > *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:53 IST
Reason: SelfAttested

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.
(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

9. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

10. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक—पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

11. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलग-अलग खातेदारों पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:53 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः—05.12.2025

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 107/1/9.3482 है0 मौजा खडाली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति से प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' नीचे अंकित तालिकानुसार प्रतिवादी संख्या 09 व 10 द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1652 दिनांक 14.11.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार प्रेषित मौका कुर्रेजात रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 09 व 10 का अन्य प्रतिवादियों से पृथक् से खाता विभाजन करते हुए शेष कुर्रेजात प्रस्ताव को यथावत रखते हुए दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
खंगारा पुत्र हिमता हि0 1/3 नारायण पुत्र हिमता हि0 1/3 छोगा पुत्र हिमता फौत के कायम मोहनराम पुत्र छोगा हि0 1/9 हड़मानराम पुत्र छोगा हि0 1/9 सुगणी पत्नी छोगा हि0 1/9 जाति विश्नोई सा0देह खातेदार	खडाली	107/1	1.7527 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.7527 है0				
भारमल पुत्र हिमता रजिस्ट्री कायम हि0 पूर्ण हुकमाराम पुत्र हिरकनराम जाति विश्नोई सा0 देह	खडाली	107/1	0.5843 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.5843 है0				
अणसी पत्नी जोधाराम बाबुलाल पुत्र जोधाराम खंगाराराम पुत्र सुखराम ठाकराराम पुत्र सुखराम पुरखाराम पुत्र सुखराम राणाराम पुत्र सुखराम राहिन एसबीबीजे शाखा गुड़ामालानी विरधाराम पुत्र सुखराम *हिस्सा विभाजन के पश्चात नियमानुसार* राहिन एसबीबीजे शाखा गुड़ामालानी कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार	खडाली	107/1	4.6742 है0	बा0सो0
भगवानाराम पुत्र लालाराम हि0 1/2 झमकु पत्नी लालाराम हि0 1/2 कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार	[illegible]	107/1	2.3370 है0	बा0सो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:53 IST
Reason: SelfAttested

कुल किता 01 रकबा 7.0112 है0

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काष्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति से प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' तथा प्रतिवादी संख्या 09 व 10 द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1652 दिनांक 14.11.2025 के द्वारा प्रेषित मौका कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर, उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:53 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2023/271 दर्ज तिथिः–10.08.2023

1. खंगारा वल्द हिमता
2. नारायण वल्द हिमता
3. छोगा वल्द हिमता फौत के कायम मुकाम
   3/1 मोहनराम वल्द छोगाराम
   3/2 हड़मानराम वल्द छोगाराम
   3/3 सुगणी पत्नी छोगाराम
   जाति विश्नोई निवासी खडाली तहसील गुडामालानी बाडमेर।

........................वादी

बनाम

1. हुकमाराम पुत्र हिरकनराम
   जाति विश्नोई निवासी खडाली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. अणसीदेवी पत्नी जोधाराम
3. बाबुलाल वल्द जोधाराम
4. खंगाराराम वल्द सुखराम
5. ठाकराराम वल्द सुखराम
6. पुरखाराम वल्द सुखराम
7. राणाराम वल्द सुखराम
8. विरधाराम वल्द सुखराम
   जाति विश्नोई निवासी खडाली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
9. भगवानाराम वल्द लालाराम
10. झमकू पत्नी लालाराम
    जाति विश्नोई निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखडा जिला बाड़मेर

......................असल प्रतिवादी

11. शाखा प्रबंधक एस0बी0आई0 शाखा गुड़ामालानी
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुडामालानी जिला बाड़मेर।

...............तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादीगणः– श्री बाबूलाल विश्नोई
श्री जगदीश कड़वासरा

वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:53 IST
Reason: SelfAttested

–ःपर्चा डिक्रीः–

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 107/1/9.3482 है0 मौजा खडाली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति से प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' नीचे अंकित तालिकानुसार प्रतिवादी संख्या 09 व 10 द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए. /2025/1652 दिनांक 14.11.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार प्रेषित मौका कुर्रेजात रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 09 व 10 का अन्य प्रतिवादियों से पृथक् से खाता विभाजन करते हुए शेष कुर्रेजात प्रस्ताव को यथावत रखते हुए दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
खंगारा पुत्र हिमता हि0 1/3 नारायण पुत्र हिमता हि0 1/3 छोगा पुत्र हिमता फौत के कायम मोहनराम पुत्र छोगा हि0 1/9 हड़मानराम पुत्र छोगा हि0 1/9 सुगणी पत्नी छोगा हि0 1/9 जाति विश्नोई सा0देह खातेदार	खडाली	107/1	1.7527 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.7527 है0				
भारमल पुत्र हिमता रजिस्ट्री कायम हि0 पूर्ण हुकमाराम पुत्र हिरकनराम जाति विश्नोई सा0 देह	खडाली	107/1	0.5843 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.5843 है0				
अणसी पत्नी जोधाराम बाबुलाल पुत्र जोधाराम खंगाराराम पुत्र सुखराम ठाकराराम पुत्र सुखराम पुरखाराम पुत्र सुखराम राणाराम पुत्र सुखराम राहिन एसबीबीजे शाखा गुड़ामालानी विरधाराम पुत्र सुखराम *हिस्सा विभाजन के पश्चात नियमानुसार* राहिन एसबीबीजे शाखा गुड़ामालानी कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार	खडाली	107/1	4.6742 है0	बा0सो0
भगवानाराम पुत्र लालाराम हि0 1/2 झमकु पत्नी लालाराम हि0 1/2	खडाली	107/1	2.3370 है0	बा0सो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:53 IST
Reason: SelfAttested

कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार					
कुल किता 01 रकबा 7.0112 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काष्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति से प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' तथा प्रतिवादी संख्या 09 व 10 द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1652 दिनांक 14.11.2025 के द्वारा प्रेषित मौका कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 05.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:53 IST
Reason: SelfAttested